

**एम. रामकृष्णन**

बनाम

**मद्रास राज्य**

28 अगस्त, 1979

**[ए. सी. गुप्ता और ई. एस. वेंकटरमैया, जे.जे.]**

तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर सीमा का निर्धारण) अधिनियम 1961-धारायें 3 (42), 5 (4)(ए)-"स्त्रीधन भूमि" का दायरा- क्या इसमें महिला को विरासत में मिली या अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के बाद वसीयत के रूप में अर्जित भूमि शामिल है।

तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम, 1961 की धारा 3 (42) द्वारा 'स्त्रीधन भूमि' को किसी भी महिला सदस्य द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि (6 अप्रैल, 1960) पर धारित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके स्वयं के नाम पर एक परिवार, और अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) ने ऐसी महिला को बोल्ट करने में सक्षम बनाया, भूमि की सीमा के अलावा, परिवार बोल्ट, स्त्रीधन भूमि का हकदार है जो 10 मानक एकड़ से अधिक नहीं है।

अपीलार्थी की माँ ने एक वसीयत द्वारा अपीलार्थी और उसकी पत्नी को कुछ कृषि भूमि वसीयत कर दी थी। अपीलार्थी की शादी 9 जून, 1960 को

हुई थी और उसकी मां की मृत्यु 20 अप्रैल, 1962 को हुई थी यानी अधिनियम लागू होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी ने अपीलार्थी की पत्नी के पक्ष में वसीयत की गई भूमि को परिवार की हिस्सेदारी का हिस्सा मानते हुए आदेश पारित किया। अपीलार्थी और उसकी पत्नी से मिलकर, और अभ्यर्पित की जाने वाली अधिशेष भूमि की सीमा निर्धारित की।

भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 78 के तहत अपनी अपील में अपीलार्थी का तर्क था कि वसीयत के तहत उसकी मां द्वारा उसकी पत्नी के पक्ष में वसीयत की गई भूमि स्त्रीधन भूमि थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था और भूमि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की पत्नी को अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) के तहत भूमि को स्त्रीधन भूमि के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी और भूमि की अधिशेष सीमा का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए मामले को प्राधिकृत अधिकारी को वापस भेज दिया।

अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रत्यर्थी की पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई, उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी के पास मौजूद भूमि अधिनियम की धारा 3 (42) के तहत परिभाषित 'स्त्रीधन भूमि' नहीं थी, और अधिशेष भूमि का निर्धारण करते समय इसे इस तरह नहीं माना जा सकता था।

इस सवाल पर कि क्या विचाराधीन भूमि 'स्त्रीधन: भूमि' थी और अधिशेष भूमि का निर्धारण करते समय इसे अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत माना जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया: (1) उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अधिनियम की धारा 5 (4) विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं होती।

[403 एफ]

(2) धारा 5 (4) (ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "स्त्रीधन भूमि" को अधिनियम की धारा 3 (42) द्वारा प्रतिबंधित अर्थ दिया गया है जो इसे परिवार की किसी भी महिला सदस्य द्वारा अपने नाम पर अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर किसी भी भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। [401 सी]

अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख यानी 6 अप्रैल 1960 को तत्काल मामले में पत्नी विचाराधीन भूमि की मालिक नहीं थी। उन्होंने 20 अप्रैल, 1962 को वसीयतकर्त्री अपनी मां की मृत्यु के बाद यह हक हासिल किया। इसलिए अपीलार्थी अधिनियम की धारा 5 (4)(ए) के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है।[401 सी]

(3) अधिनियम की धारा 21, जिसके तहत प्रश्नगत भूमि अधिशेष भूमि के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अपीलार्थी की होल्डिंग में शामिल होने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी

व्यक्ति से विरासत या वसीयत द्वारा अर्जित की गई महिला की स्त्रीधन संपत्ति और उसके परिवार के पास मौजूद कोई अन्य संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं करती है। [401 डी]

(4) अधिनियम की धारा 3 (42) में अभिव्यक्ति "स्त्रीधन भूमि" की परिभाषा और अधिनियम की धारा 5 (4) के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि राज्य विधानमंडल का इरादा अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत उपलब्ध रियायत को केवल अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर एक महिला द्वारा धारित भूमि तक विस्तारित करना था, न कि उसके बाद उसके द्वारा अर्जित भूमि पर। [401 ई]

(5) कानून का उद्देश्य सीलिंग क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण करना और उसे ग्रामीण आबादी के भूमिहीनों के बीच वितरित करना है। यदि अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया निर्माण अधिनियम की धारा 21 पर रखा जाता है, तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) को अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी किसी महिला द्वारा अर्जित कृषि भूमि पर लागू मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। [401 जी, एफ]

(6) यदि विधायिका का इरादा है कि अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद किसी महिला द्वारा विरासत या वसीयत के माध्यम से

अर्जित भूमि को भी धारा 5 (4) के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, तो उसने "स्त्रीधन भूमि" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया होगा "इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर" शब्दों के बिना। [401 एच]

(7) यह अधिनियम हिंदुओं के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित अन्य लोगों पर भी लागू है। यह इंगित करता है कि 'स्त्रीधन' शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में उस अर्थ में नहीं किया गया है जिस अर्थ में इसका उपयोग हिंदू कानून में किया जाता है। [402 ए]

वल्लियाम्मल बनाम प्राधिकृत अधिकारी, भूमि सुधार, कोयंबदूर ए.आई.आर. 1973 मद्रास 321, खारिज कर दिया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1592/1969।

सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1791/67 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12 मार्च, 1969 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलर्थी की ओर से के.जयराम और के.रामकुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से ए. वी. रंगम।

न्यायालय का निर्णय वेंकटरमैया, जे. द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अपील मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1791/1967 में पारित 12 मार्च, 1969 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की सीमा का निर्धारण) अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रारंभ होने की तारीख यानी 6 अप्रैल, 1960 को, अपीलार्थी के पास लगभग 47 एकड़ कृषि भूमि थी। उन्हें अधिनियम की धारा 8 के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से 90 दिनों के भीतर उनके द्वारा धारित या मानी गई सभी भूमियों के संबंध में एक विवरण दाखिल करना आवश्यक था जिसमें उस प्रावधान में उल्लिखित विवरण उस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना जिसके अधिकार क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी या उसका बड़ा हिस्सा स्थित था। तदनुसार, उन्होंने अपना रिटर्न दाखिल किया। जांच के दौरान, प्राधिकृत अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी की मां शिवगामी अची, जिनकी मृत्यु 20 अप्रैल, 1962 को हुई थी, द्वारा की गई वसीयत के तहत, अपीलार्थी 4.99 मानक एकड़ का हकदार बन गया और उसकी पत्नी, देविका को 8.81 मानक एकड़ कृषि भूमि मिली। प्राधिकृत अधिकारी ने 6 अप्रैल, 1960 को अपीलार्थी की कृषि भूमि के कई टुकड़ों की वास्तविक सीमा का पता लगाने के बाद, अधिनियम की धारा 73 के तहत 2.21 एकड़ भूमि को छूट दी और अधिशेष भूमि की सीमा निर्धारित की, जिसे अभ्यर्पित किया

जाना था। अधिनियम के तहत अपीलार्थी को 12.803 मानक एकड़ जमीन इस आधार पर दी गई कि अपीलार्थी के परिवार, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है, के पास 44-46 एकड़ जमीन है, साथ ही वह जमीन भी है जो अपीलार्थी और उसकी पत्नी को शिवगामी अची की वसीयत के तहत मिली थी। उपरोक्त आधार पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 12 के तहत अंतिम विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 78 के तहत भूमि न्यायाधिकरण यानी तंजावुर के अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया कि 8.81 मानक एकड़ की सीमा जो उसकी पत्नी के पक्ष में वसीयत की गई थी, देविका को उनकी मां शिवगामी अची द्वारा ऊपर उल्लिखित वसीयत के तहत स्त्रीधन भूमि दी गई थी और अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) के अनुसार तदनुसार निपटाया जाना था। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलार्थी के मामले को स्वीकार कर लिया कि शिवगामी अची की मृत्यु पर देविका द्वारा अर्जित 8.81 मानक एकड़ की सीमा को 30 मानक एकड़ के अलावा उसके द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, अपील में पारित आदेश के अनुसार भूमि की अधिशेष सीमा का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए मामला प्राधिकृत अधिकारी को वापस भेज दिया गया था। तमिलनाडु राज्य ने अपीलीय आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर

की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली कि देविका द्वारा अधिग्रहीत 8.81 मानक एकड़ की सीमा धारा 3 के तहत परिभाषित 'स्त्रीधन भूमि' नहीं थी। अधिनियम के (42) और अधिशेष भूमि का निर्धारण करते समय इसे इस तरह नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि देविका द्वारा अधिग्रहीत भूमि अधिनियम की धारा 21(1) सपठित धारा 10(2) (बी) द्वारा शासित थी। उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर की गयी है। हमारे समक्ष पक्षों की ओर से की गई दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। यह अधिनियम तमिलनाडु राज्य में कृषि भूमि जोत की सीमा तय करने और उससे जुड़े कुछ अन्य मामलों के लिए प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। उस राज्य में खेती के लिए उपलब्ध कृषि भूमि के सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कृषि भूमि के स्वामित्व में भारी असमानता के कारण ऐसी भूमि कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई, और उस राज्य में कृषि भूमि के स्वामित्व में इस तरह की असमानता को कम करने की आवश्यकता और कृषि भूमि जोत पर एक सीमा तय करने की आवश्यकता के लिए अधिनियम में प्रावधान बनाए गए थे। इन प्रावधानों में कृषि भूमि जोत पर एक सीमा तय करना और सीमा क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण करना और ऐसी भूमि को भूमिहीनों और ग्रामीण आबादी के अन्य व्यक्तियों के बीच वितरित करना शामिल था।



अधिनियम की धारा 3(11) में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख" को उस तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है जिस दिन तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर सीमा का निर्धारण) विधेयक, 1960 फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में प्रकाशित हुआ था अर्थात्, अप्रैल, 1960 का 6 वां दिन

अधिनियम की धारा 3(34) में "व्यक्ति" शब्द को किसी भी ट्रस्ट, कंपनी, परिवार, फर्म, समाज या व्यक्तियों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

अधिनियम की धारा 3(14) के तहत, किसी व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ उस व्यक्ति, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, से है, उसके नाबालिग बेटे और अविवाहित बेटियां और पुरुष वंश में नाबालिग पोते और अविवाहित पोतियां, जिनके पिता और माँ मर चुके थे।

अधिनियम की धारा 3(7) में "सीलिंग क्षेत्र" को भूमि की उस सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक व्यक्ति धारा 5 के तहत रखने का हकदार था ।

अधिनियम की धारा 3(42) में "स्त्रीधन भूमि" को किसी भी महिला सदस्य द्वारा अपने नाम पर अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर धारित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 5 का प्रासंगिक भाग

इस प्रकार है:-

"5. (1) (ए) अध्याय VIII के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में अधिकतम सीमा क्षेत्र और, उप-धारा (4) और (5) के प्रावधानों और अध्याय VIII के प्रावधानों के अधीन, अधिकतम सीमा क्षेत्र पांच से अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार के मामले में, मानक 30 एकड़ होगी.....

(4)(ए) उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, जहां किसी परिवार की किसी महिला सदस्य द्वारा धारित स्त्रीधन भूमि, उस परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित अन्य भूमि के साथ, मानक 30 एकड़ से अधिक है, संबंधित महिला सदस्य, उप-धारा (1) के तहत परिवार द्वारा धारण की जाने वाली भूमि की सीमा के अतिरिक्त, स्त्रीधन भूमि मानक 10 एकड़ से अधिक नहीं रख सकती है.. "

अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है:-

"7. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, लेकिन अध्याय VIII के प्रावधानों के अधीन, सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि की कुल सीमा की गणना करते समय, सीलिंग क्षेत्र से अधिक की कोई भी सीमा और गीली भूमि के मामले में आधा एकड़ और सूखी भूमि के मामले में एक एकड़ से अधिक न हो, मूल्यांकन के बावजूद ऐसी भूमि को बाहर रखा जाए।"

अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है:-

"21. विरासत, वसीयत या डिक्री आदि के निष्पादन में बिक्री द्वारा भविष्य में अधिग्रहण की सीमा-

(1) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद-

(ए) कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से विरासत या वसीयत द्वारा प्राप्त करता है; .....कोई भी भूमि, जो पहले से ही उसके पास मौजूद भूमि, यदि कोई हो, के साथ मिलकर, कुल सीमा क्षेत्र से अधिक है, तो वह अधिसूचित तिथि से नब्बे दिनों के भीतर या ऐसे अधिग्रहण

की तारीख से, जो भी बाद में हो, उस अधिकृत अधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी या उसका बड़ा हिस्सा स्थित है, एक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात् .....

अपीलार्थी की मां शिवगामी अची द्वारा वसीयत के तहत जो जमीनें वसीयत की गईं, वे अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख यानी 6 अप्रैल, 1960 को उनके पास थीं। अपीलार्थी ने 29 जून, 1960 को देविका से शादी की। शिवगामी अची की मृत्यु हो गई। 20 अप्रैल, 1962 और उनकी मृत्यु पर, अपीलार्थी और देविका उनके पक्ष में वसीयत की गई भूमि के हकदार बन गए। अपीलार्थी की होल्डिंग से संबंधित मसौदा विवरण 30 मई, 1965 को प्रकाशित किया गया था और प्राधिकृत अधिकारी ने 14 मार्च, 1966 को अपीलार्थी और उसकी पत्नी के पक्ष में शिवगामी अची द्वारा वसीयत की गई भूमि को होल्डिंग का हिस्सा मानते हुए अपना आदेश पारित किया था। परिवार में अपीलार्थी और उसकी पत्नी शामिल हैं। प्राधिकृत अधिकारी, अधीनस्थ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला यह था कि अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) के मद्देनजर, उनके मामले में अधिकतम सीमा क्षेत्र 30 मानक एकड़ और उनकी पत्नी के पक्ष में वसीयत की गई भूमि की सीमा यानी 8.81 मानक एकड़ तय की जानी चाहिए थी।

इस न्यायालय में भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया है। हमारा मानना है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है।

धारा 5(4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "स्त्रीधन भूमि" (ए) को अधिनियम की धारा 3(42) द्वारा एक प्रतिबंधित अर्थ दिया गया है जो इसे अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर परिवार की किसी भी महिला सदस्य द्वारा अपने नाम पर रखी गई किसी भी भूमि के रूप में परिभाषित करता है। माना जाता है कि अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख यानी 6 अप्रैल, 1960 को देविका विचाराधीन भूमि की मालिक नहीं थी। उन्होंने वसीयतकर्त्री की मृत्यु के बाद 20 अप्रैल, 1962 को ही इसका हक हासिल कर लिया। इसलिए, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 5(4) (ए) के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 21, जिसके तहत प्रश्नगत भूमि अधिशेष भूमि के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अपीलार्थी के स्वामित्व में शामिल होने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, अधिनियम के लागू होने के बाद किसी व्यक्ति से विरासत या वसीयत द्वारा अर्जित की गई महिला की स्त्रीधन संपत्ति और उसके परिवार द्वारा रखी गई किसी अन्य संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं करती है। अधिनियम की धारा 3(42) में अभिव्यक्ति "स्त्रीधन भूमि" की परिभाषा और अधिनियम की धारा 5(4) के प्रावधानों को पढ़ने से, हमारी राय है कि राज्य विधानमंडल का इरादा इसके तहत उपलब्ध रियायत का विस्तार करना है। अधिनियम की धारा 5(4) केवल

अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर एक महिला द्वारा धारित स्त्रीधन संपत्ति पर लागू होती है, उसके बाद उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर नहीं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के.जयराम द्वारा यह आग्रह किया गया था कि अधिनियम एक स्वामित्व वाला है और इसलिए, हमें अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) को अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी एक महिला द्वारा अर्जित कृषि भूमि पर लागू माना जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उक्त प्रावधान को उस तरह से समझने की कोई गुंजाइश है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कानून का उद्देश्य उसके धारकों से सीलिंग क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण करना और उसे ग्रामीण आबादी के भूमिहीनों के बीच वितरित करना था। यदि अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया तर्क अधिनियम की धारा 21 पर रखा जाता है, तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यदि वास्तव में विधायिका का इरादा था कि अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके बाद किसी महिला द्वारा विरासत या वसीयत के माध्यम से अर्जित भूमि को भी धारा 5 (4) के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, तो उसने "स्त्रीधन भूमि" अभिव्यक्ति को "इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर" शब्दों के बिना परिभाषित किया होता। यह भी ध्यान में रखना होगा कि 'स्त्रीधन' शब्द का प्रयोग अधिनियम में उस अर्थ में नहीं किया गया है जिस अर्थ में इसका उपयोग

हिंदू कानून में किया जाता है। यह अधिनियम हिंदुओं के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित अन्य लोगों पर भी लागू है। इसलिए, 'स्त्रीधन भूमि' शब्द को केवल अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर एक महिला द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में समझना उचित है, और न कि उसके द्वारा विरासत में मिली या बाद के किसी भी समय वसीयत के रूप में उसके द्वारा अर्जित की गई भूमि के लिए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वल्लियाम्मल बनाम प्राधिकृत अधिकारी, भूमि सुधार, कोयंबटूर मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस मामले में अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष प्रस्तुत एक तर्क को स्वीकार कर लिया गया था। उस मामले के तथ्य कमोबेश हमारे सामने वाले मामले के तथ्यों से मिलते जुलते थे। उस मामले में याचिकाकर्ता किसी पलानीसामी गौंडर की पत्नी थी, जिसके पास अधिनियम के प्रारंभ होने पर छूट वाली भूमि को छोड़कर, 44.061 मानक एकड़ की सीमा थी। 25 मार्च, 1962 को उनके बेटे की मृत्यु पर उन्हें 11.075 मानक एकड़ जमीन विरासत में मिली। उनके द्वारा दायर रिटर्न में, याचिकाकर्ता के पति ने दावा किया कि वह परिवार की हिस्सेदारी के रूप में 30 मानक एकड़ जमीन बनाए रखने के हकदार थे और उनकी पत्नी, उस मामले में याचिकाकर्ता, स्त्रीधन संपत्ति के रूप में 10 मानक एकड़ रखने का हकदार था। भूमि न्यायाधिकरण, कोयंबटूर ने माना कि चूंकि

अधिनियम में "स्त्रीधन भूमि" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर परिवार की किसी भी महिला सदस्य द्वारा अपने नाम पर रखी गई भूमि और चूंकि याचिकाकर्ता को वह भूमि विरासत में मिली है। 25 मार्च, 1962 को उनके बेटे की मृत्यु के बाद यानी अधिनियम के लागू होने के बाद, वह धारा 5(1) के तहत परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की सीमा के अलावा किसी भी भूमि को स्त्रीधन संपत्ति के रूप में बनाए रखने की हकदार नहीं थी। याचिकाकर्ता ने 1971 के सी.आर.पी. संख्या 916 में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रिब्यूनल के आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया था। उस याचिका को गणेशन, जे. ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि धारा 3 में स्त्रीधन भूमि की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3 (42) में, याचिकाकर्ता अपने और अपने पति के परिवार को दी गई 30 मानक एकड़ जमीन के अलावा, 10 मानक एकड़ स्त्रीधन संपत्ति के रूप में रखने की हकदार नहीं थी। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा गणेशन, जे. द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई। समीक्षा याचिका निर्णय के लिए एक अन्य विद्वान न्यायाधीश के समक्ष आई, जिन्होंने 2 नवंबर, 1972 के अपने आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी। अपीलार्थी ने हमारे सामने समीक्षा याचिका पर दिए गए फैसले पर भरोसा जताया है। उस निर्णय के पैराग्राफ 6 में, यह निम्नानुसार देखा गया है: -



"सिविल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य रूप से 'स्त्रीधन संपत्ति' की परिभाषा पर भरोसा करते हुए कहा कि कोई भी महिला किसी भी स्त्रीधन संपत्ति को रखने की हकदार नहीं है, यदि वह अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अर्जित या विरासत में मिली हो। बेशक, धारा 3(42) स्त्रीधन भूमि को इस प्रकार परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर परिवार की किसी भी महिला सदस्य द्वारा अपने नाम पर रखी गई कोई भी भूमि। लेकिन उस अर्थ को 'जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो' अपनाया जाना चाहिए। ऐसा बार-बार माना गया है धारा में शब्द की उस संदर्भ में व्याख्या और समझ करनी होगी जिसमें इसका उपयोग धारा में किया गया है और अधिनियम की परिभाषा धारा में उस शब्द के लिए दी गई परिभाषा हमेशा संदर्भ के संबंध के बिना व्याख्या को नियंत्रित नहीं कर सकती है। धारा 5, 7 और 21 के संदर्भ में और अधिनियम के दायरे और उद्देश्य के संदर्भ में, मेरी राय है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद महिलाओं को स्त्रीधन संपत्ति के रूप में

विरासत में मिली संपत्तियां भी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के लाभ की हकदार हैं।"

यह सच है कि उपरोक्त अनुच्छेद अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है लेकिन हमारा मानना है कि अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में अधिनियम की धारा 3 (42) में बताए गए अर्थ से भिन्न 'स्त्रीधनी भूमि' अभिव्यक्ति का अर्थ देना आवश्यक नहीं है। हमारे द्वारा पहले ही बताए गए कारणों से हम मानते हैं कि उपरोक्त निर्णय कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि मद्रास उच्च न्यायालय का पिछला निर्णय, जो अब अपील के अधीन है, उपरोक्त मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाया गया है।

इसलिए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले में सही था कि अधिनियम की धारा 5 (4) विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं थी।

श्री के.जयराम द्वारा अंततः आग्रह किया गया कि अधिनियम में किए गए कुछ बाद के संशोधनों के मद्देनजर, संशोधित कानून के आलोक में मामले की हमें नए सिरे से जांच करनी होगी। हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर ऐसा करना उचित है। यदि अपीलार्थी को संशोधित कानून के तहत मिलने वाले लाभ का दावा करने के लिए उचित कार्यवाही का सहारा लेने की सलाह दी जाती है तो यह उसके लिए खुला है। अधिनियम में बाद

के संशोधनों के तहत जो भी कार्रवाई की जा सकती है, उसे करने की स्वतंत्रता राज्य सरकार के लिए भी आरक्षित है।

परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

एन.वी.के.

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, राहुल कुमार द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।